सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 80 / प्रा0पत्र / 2021 दायरा दिनांक :– 17.06.2021

GCMS ID–2021 / 93

1. मनोहरलाल आ. श्री नन्दलाल जाति कलाल निवासीगण हिण्डोली जिला बून्दी राज0
2. ओमप्रकाश आ. श्री नन्दलाल, जाति कलाल निवासीगण हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत
वकील प्रार्थी :– श्री भंवरलाल गुर्जर
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार।

दिनांक :– 20 / 02 / 2026

आदेश

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के सयुक्त खाते की भूमि ख.सं. 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, .34 कुल किता 12 कुल रकबा 1.1655 हैक्टेयर एवं भूमि ख.सं. 33 रकबा 1.1493 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे विस्थित है जो ग्राम हिण्डोली एवं राजस्व ग्राम भीमगंज की सीमा में विस्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि में आने जाने का एक रास्ता नेशनल हाईवे 52 से ग्राम भीमगंज के सिवायचक भूमि ख.स. 406, 371, 405, 405 / 886 मे होकर ग्रामसीमा को कोस करते हुये प्रार्थीगण की खाते की भूमि जो चरण संख्या 1 में अंकित है, के, खसरा संख्या 33 में आता है। उक्त रास्ता मौके पर मोजूद है, परन्तु राजस्व रिकार्ड मे अंकित नहीं है, वर्तमान समय मे राजकीय भूमियो मे बढते अतिक्रमण की स्थिति के मध्यनजर प्रार्थीगण के मोजूदा रास्ते की भूमि में भी अतिक्रमण की सम्भावना प्रबल है। भविष्य में किसी भी व्यक्ति से रास्ता सम्बन्धित विवाद नही हो इसलिये प्रार्थीगण के आने जाने के मोजूदा रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे रास्ता घोषित किया जाकर दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थीगण रास्ते हेतु उपयोग होने वाली भूमि की किमत वहन करने हेतु तैयार है। उक्त मोजूदा रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु पूर्व में तहसीलदार साहब से निवेदन किया था परन्तु उनके द्वारा उपखण्ड न्यायालय में कार्यवाही किये जाने की कहने पर प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

क्ष पेश है। प्रार्थीगण के खाते की भूमि ग्राम हिण्डोली एवं रास्ते की भूमि ग्राम भीमगंज तहसील हिण्डोली मे विरिथत होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण के खाते की भूमि ख.सं. 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 कुल किता 12 कुल रकबा 1.1655 हैक्टेयर एवं भूमि ख.सं. 33 रकबा 1.1493 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में आने जाने हेतु राजस्व ग्राम भीमगंज की भूमि ख.सं. 406, 371, 405, 405/886 में होकर 12 फिट चोडा रास्ता घोषित करने एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार हिण्डोली की ओर से पत्रांक :-राजस्व/25/974 दिनांक :-25.04.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 जो कि वाके ग्राम हनुमान जी का झौपडा पटवार मण्डल हिण्डोली में स्थित है, पर आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 405, 405/886 व 1098/371 जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है, में से होते हुए 12 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत निर्धारित प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 405, 405/886 व 1098/371 सिवायचक भूमि में से 12 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु निकटतम व सुगम है। प्रार्थीगण को चाहे गये रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है।

-: क्रियात्मक आदेश :-

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 858 के खसरा संख्या 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 जो कि वाके ग्राम हनुमान जी का झौपडा पटवार मण्डल हिण्डोली में

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न–जाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम भीमगंज पटवार मण्डल पेंच की बावडी के खसरा संख्या 1098/371 में से 12 फिट चौडे 369 फिट लम्बे रास्ते में कुल 0.0411 है0 व खसरा संख्या 405 में से 12 फिट चौडे 190 फिट लम्बे रास्ते में कुल 0.0212 है0 एवं खसरा संख्या 405/886 में से 12 फिट चौडे 59 फिट लम्बे रास्ते में कुल 0.0066 है0 भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित रास्ते में कुल रकबा 0.0689 हैक्टेयर भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमियों की डी0एल0सी0 राशि की गणना तहसीलदार हिण्डोली द्वारा कर सम्बन्धित प्रार्थीगण से डी0एल0सी0 राशि की दुगनी प्रतिकर राशि निर्धारित मद/राजकोष में जमा करवाकर चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। प्रतिकर जमा होने के उपरान्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 20.02.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

20/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446